न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

(समक्ष श्री एम.के.सिंह)

नि.प्र.क्र. R-3957-I-16

पे.ता.

1. राकेश कुमार बल्द प्रेमनारायण पाठक
पेशा कृषि नि. नरसिंहगढ जिला दमोह म.प्र. ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. बृजेश कुमार पाठक बल्द प्रेमनारायण पाठक पेशा कृषि
2. राज पिता बृजेश कुमार पाठक पेशा कृषि

दोनों निवासी ग्राम नरसिंहगढ तह. पथरिया जिला दमोह म.प्र.

..........................प्रत्यार्थी / उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

विद्वान अधिनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् नायव तहसीलदार महोदय पथरिया (नरसिंहगढ मण्डल) दमोह द्वारा आवेदक बृजेश कुमार पाठक में अवैधानिक रूप से बिना सुनवायी किये पारित अधिकारिता रहित आदेश दिनॉक22.09.16से दुखीत् व पीडित होकर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

मामले के तथ्य—: निगरानीकर्ता राकेश के पिता स्व प्रेमनारायण पाठक की विधवा पत्नि सुशीला तीन पुत्र मिथलेश बृजेश राकेश एंव पुत्री मधुवाला एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी संयुक्त कास्तकारी भूमि ग्राम सुहाव कल्याणपुरा एंव नरसिंहगढ में स्थित है और उसे पारिवारिक व्यवस्था के मुताबिक भूमि को निगरानीकर्ता के पिता प्रेमनारायण अपने जीवनकाल में बिना विभाजन के परिवार के तीनो पुत्रों व पुत्री और स्वयं प्रेमनारायण एंव पत्नि सुशीला के नाम पटवारी अभिलेखों में दर्ज करा दी थी परिवार की संयुक्त कृषि भूमियों का अभी तक विधिवत् बटवारा नही हुआ है। निगरानीकर्ता के भाई उत्तरवादी बृजेश पाठक ने ओंकारेश्वरी एंव राज पाठक के नाम की मौजा कल्याणपुरा स्थित भूमि ख.नं. 275/2, 20/2, 58/2, 61/4, 278/2, 24, 273/2 275/2 275/1 को बिना बटवारा कराये खुर्द–बुर्द करने के उद्धेश्य से परिवार के सदस्यों को बताये बिना दिये गये सीमांकन **आवेदनपत्र दिनॉक 10.02.16 पर दर्ज प्रकरण क्रमांक 34अ/2 वर्ष 2015–16 निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति पेश करने पर सीमांकन प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनॉक 02.08.'16 के खारिज होकर निरस्तीबद्ध हो जाने के बाद** निगरानीकर्ता को उसी प्रकरण में पुनः अचानक दिनॉक29.10.16को सीमांकन होने का नोटिस प्रदाय किये गये है।

6.6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3957-एक/2016 जिला दमोह राकेश विरूद्ध बृजेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार पथरिया के प्रकरण क्रमांक 34/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 22-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 7.1.19 सदस्य	